

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या: 807 बी० एस० एम० एफ० सी०, / पटना दिनांक: 9/7/19

स्वीकृत्यादेश

राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत चयन समिति से दिनांक 27.04.2013 को बेगुसराय जिला के चयनित अल्पसंख्यकों के द्वारा समर्पित त्रुटिहीन कागजात के आधार पर कुल 01 लाभुक को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। इन 01 आवेदक एवं उनके गारन्टर से निगम कार्यालय आदेश संख्या 516 दिनांक 27.03.2017 में निहित निदेश के अनुसार प्रमण्डलीय प्रभारी, मुँगेर के द्वारा आवेदन पत्र, अद्यतन आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं आधार अच्छादित बैंक एकाउन्ट के पीओडीसीओ तथा गारन्टर के आधार कार्ड प्रमण्डलीय प्रभारी प्राप्त कर लिया गया है। अतएव विभागीय पत्र संख्या 2127 दिनांक 05.12.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करके हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतेय के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुकों के बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने का आदेश दिया जाता है :-

| Sl. No | Appl_Name | Bank A/c No. of Applicant | Trade | Sanctioned Loan Amount | 0.5% Processing Charge | Net Payable Amount |
|--------------|---|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 1. | MOHAMMAD RAJI AHMAD, S/o- MD SULEMAN, Vill.- PANCHBIR, Block+ PS- SAHEBPUR KAMAL POLICE STATION, PO-PANCHBIR, Distt.-BEGUSARAI- | A/c No.:- 11707203655, SBIN0006371 | READYMADE TAILORING SHOP | 100000 | 500 | 99500 |
| TOTAL | | | | 1,00,000 | 500 | 99500 |


स्वीकृत ऋण राशि से वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।


उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।


ज्ञापांक:- 807


दिनांक :- 09/07/19

प्रतिलिपि: जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बेगुसराय/सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा/ऋण शाखा(कम्प्यूटर सेल) लेखा शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


प्रमण्डलीय प्रभारी


ऋण पदाधिकारी


सचिव


प्रबंध निदेशक